

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर दमोह जिले के अन्तर्गत सतधारू सिंचाई तालाब निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जिला दमोह के अन्तर्गत वनमण्डल दमोह के परिश्रेत्र दमोह के कक्ष क्रमांक RF241, RF240, RF 238, RF 124, RF 122, RF 123, RF 113, RF 121, PF 235, PF 237, PF 236, PF 233, PF 234 एवं PF232 का कुल रकबा 789.93 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 07/12/17
स्थान: भोपाल

(कैप्टन अमिलकुमार खरे)
सचिव
मध्य प्रदेशा समन्वय वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)